



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052023-245612
CG-DL-E-03052023-245612

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1933]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945

No. 1933]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/ VAISAKHA 12, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2023

का.आ. 2021(अ).— केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-752B के कि.मी. 22+800 से 29+567 कि.मी. तक (खिलचीपुर से जीरापुर मार्ग) (जीरापुर-बाईपास) का निर्माण (चौड़ीकरण/2-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जीरापुर, जिला राजगढ़, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की

सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के जिले राजगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-752B के कि.मी. 22+800 से 29+567 कि.मी. तक (खिलचीपुर से जीरापुर मार्ग) (जीरापुर-बाईपास) निर्माण के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: राजगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: जीरापुर					
गांव का नाम: जीरापुर					
1	678	निजी	सिंचित	0.2400000(हेक्टेयर)	0.2400000
2	679	निजी	सिंचित	0.2560000(हेक्टेयर)	0.2560000
3	680	निजी	सिंचित	0.5240000(हेक्टेयर)	0.5240000
4	681	सरकारी	नाला	0.0740000(हेक्टेयर)	0.0740000
5	695	निजी	सिंचित	0.0640000(हेक्टेयर)	0.0640000
6	696	निजी	सिंचित	0.2370000(हेक्टेयर)	0.2370000
7	697	सरकारी	मंदिर	0.0970000(हेक्टेयर)	0.0970000
8	698	सरकारी	मंदिर	0.2820000(हेक्टेयर)	0.2820000
9	699	सरकारी	मंदिर	0.0590000(हेक्टेयर)	0.0590000
10	704	निजी	सिंचित	0.0390000(हेक्टेयर)	0.0390000
11	705	निजी	सिंचित	0.2410000(हेक्टेयर)	0.2410000
12	706	निजी	सिंचित	0.1570000(हेक्टेयर)	0.1570000
13	707	निजी	सिंचित	0.1230000(हेक्टेयर)	0.1230000
कुल				2.3930	2.3930

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/02/2017-18/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2023

S.O. 2021(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/2-laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of National Highway No. **NH-752B** in the stretch of land from Km. **22+800** to **29+567** Km. to **(Khilchipur to Jirapur Road) (Jirapur-Bypass)** in the district of **Rajgarh** in the state of **MADHYA PRADESH**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the **Sub Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer jirapur, District Rajgarh**, in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. **22+800** to **29+567** Km. to **(Khilchipur to Jirapur Road) (Jirapur-Bypass)** National Highway No. **NH-752B** in the district of **Rajgarh** in the state of **MADHYA PRADESH**

State: MADHYA PRADESH			District: RAJGARH		
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Jirapur					
Village: Jirapur					
1	678	Private	Irrigated	0.2400000(Hectare)	0.2400000
2	679	Private	Irrigated	0.2560000(Hectare)	0.2560000
3	680	Private	Irrigated	0.5240000(Hectare)	0.5240000
4	681	Government	Nala	0.0740000(Hectare)	0.0740000
5	695	Private	Irrigated	0.0640000(Hectare)	0.0640000
6	696	Private	Irrigated	0.2370000(Hectare)	0.2370000
7	697	Government	Temple	0.0970000(Hectare)	0.0970000
8	698	Government	Temple	0.2820000(Hectare)	0.2820000
9	699	Government	Temple	0.0590000(Hectare)	0.0590000
10	704	Private	Irrigated	0.0390000(Hectare)	0.0390000
11	705	Private	Irrigated	0.2410000(Hectare)	0.2410000
12	706	Private	Irrigated	0.1570000(Hectare)	0.1570000
13	707	Private	Irrigated	0.1230000(Hectare)	0.1230000
Total				2.3930	2.3930

[F. No. CE-RO BPL/30010/02/2017-18/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.